राजस्व वाद 253ए/2021
जीसीएमएस नंबर–
नटवरसिंह बनाम् अन्तरकंवर वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :253ए/2021

वादीगण–

1. नटवर सिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–झाडेली, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अन्तरकंवर पत्नी चूनसिंह, जाति राजपूत निवासी झाडेली , तहसील–जायल।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 27/01/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी एवं सहखातेदारी की भूमि मौजा छापड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के खेताय की सहखातेदारी में फौतगी नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों की भूल से तथा वादी की माता अनपढ होने के कारण वादी का नाम जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़ेली दर्ज कर लिया गया जबकि वादी के अन्य दस्तावेजत् में वादी के आधार कार्ड संख्या 260173065114 , राशन कार्ड संख्या 008267400058 , परिचय पत्र , भामाशाह कार्ड, बैंक की पास बुक, स्थाई लेखा संख्या एमवीआरपीएस5232ए, तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मय अंकतालिका संख्या 656614 में वादी का नाम नटवर सिंह पुत्र चुनसिंह व माता का नाम अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी झाड़ेली तहसील–जायल, जिला–नागौर दर्ज है जबकि मौजा छापड़ा के सम्वत् 2073 से 2076 की खातेदारी में खाता संख्या 297 के खसरा नंबर 131, 131/919, 137 में जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह नाबालिक संरक्षक अंतर कवंर पत्नी चुनसिंह ही दर्ज है जो गलत होने के कारण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 131, 131/919, 137 में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह नाबालिक संरक्षक अंतर कवंर पत्नी चुनसिंह के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़ेली घोषित करते हुवे डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

27/01/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत झाड़ेली में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपेरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह नटवरसिंह पुत्र चुनसिंह के पेश हुवे। नकल जमाबन्दी ग्राम छापड़ा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 297 पेश हुवे। नायब तहसीलदार डेह दिनांक 22.11.2021 द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट जिसमें मजमें आम में पूछताछ में प्रार्थी जुगलसिंह व नटवर सिंह एक ही व्यक्ति होना पाया गया तथा जुगलसिंह व नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह एक ही व्यक्ति है की फोटो प्रति, आधार कार्ड व कक्षा दसवीं की अंकतालिका जो पत्रावली में सलंग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मजमें आम में तैयार की मौका फर्द रिपोर्ट के द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए ओर प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा एवं राजपैरोकार रिपोर्ट में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ने जरिये राजीनामा आपसी सहमति से स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/2–1/2 हक बंट में दर्ज है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा 22.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली में वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व मौका रिपोर्ट पर मनन व अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के सहखातेदारी की भूमि मौजा छापड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़ेली दर्ज कर लिया गया जबकि वादी के अन्य दस्तावेजत् में वादी के आधार कार्ड संख्या 260173065114 व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मय अंकतालिका संख्या 656614 में वादी का नाम नटवर सिंह पुत्र चुनसिंह व माता का नाम अन्तर कंवर जाति राजपूत निवासी झाड़ेली तहसील–जायल, जिला–नागौर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दर्ज है तथा वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार घोषणा खातेदारी में वादी जुगलसिंह के स्थान पर नटवर सिंह शेखावत करने तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। उपयुक्त प्रकार से वादी अपने हिस्से की खातेदारी में गलत इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज कराने का अधिकारी है।

हमारी राय में मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा में जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह निवासी झाड़ेली करवा सकता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा किसी प्रकार उजर आपति प्रस्तुत नहीं की है तथा उक्त खातेदारी घोषणा के संबध में अपनी सहमति जाहिर की है। विधिक रूप से फौतगी नामान्तकरण के समय सही नामान्तकरण दर्ज करने की प्रकिया पूर्ण होनी चाहिए थी। फौतगी नामान्तकरण निरस्त होना चाहिये था इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर की एवं स्वीकार किया है तो इस स्तर पर यदि फौतगी से नामान्तकरण जो भरा गया है , को निरस्त किया जाता है तो प्रकियागत जटिलाताएं बढेगी। हिस्सा या खातेदारी अधिकारी वादी को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के भी 1/2 रहना है। अतः मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह निवासी झाड़ेली सहखातेदार 1/2 दर्ज कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह निवासी झाड़ेली सहखातेदार 1/2 दर्ज कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. झाड़ेली के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा.झाड़ेली किया जाता है।**
2. **शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 27/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

27/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 253ए/2021
जीसीएमएस नंबर–
नटवरसिंह बनाम् अन्तरकंवर वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :253ए/2021

वादीगण–

1. नटवर सिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–झाड़ेली, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अन्तरकंवर पत्नी चूनसिंह, जाति राजपूत निवासी झाड़ेली , तहसील–जायल।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह निवासी झाड़ेली सहखातेदार 1/2 दर्ज कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 131 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131/919 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खसरा नंबर 137 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में वादी जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. झाड़ेली के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा.झाड़ेली किया जाता है।**
2. **शेष खाता बदस्तूर रखा जाता है।**

27/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/01/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

27/01/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner